Gram : UNIVERSITY
Web: www.kanpuruniversity.org
E-mail:csjmu@kanpuruniversity.org, registrarcsjmuknp@gmail.com
☎: 0512-2580044

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर–208024
Kalyanpur, Kanpur-208024

सन्दर्भ संः सी॰एस॰जे॰एम॰वि॰वि॰/सम्ब॰/1671/2021 दिनांक : 10/06/2021

सम्बद्धता–आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा (दिनांक 11.06.2021) एवं कार्यपरिषद की अनुमति की प्रत्याशा से **श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, भाऊपुर, बेबर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद को बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम (100 सीट्स) में** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2020–21 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. **सत्र 2020–21 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम का विगत वर्षो का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2020–21 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।**
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के साधन/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा सी0सी0आई0एम0/मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया के रेगुलेशन एवं अन्य दिशा निर्देशों के अनुपालन के साथ निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
5. संस्था प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों को पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के सुसंगत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) के संगत प्राविधान के अधीन विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात ही सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जायेगा।
8. चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम हेतु अर्ह एवं अनुमोदित शिक्षकों की उपलब्धता/निरंतरता सुनिश्चित की जायेगी।
9. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

डॉ0 (अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. सचिव, आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय, बी0 ब्लाक, जी0पी0ओ0 काम्प्लेक्स, आई0एन0ए0, नई दिल्ली।
3. सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 61–65 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली।
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
6. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
7. **निदेशक/सचिव, श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, भाऊपुर, बेबर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद** को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. परीक्षा नियंत्रक, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
9. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि पत्र को सम्बन्धित महाविद्यालय के कालेज लॉगिन में अपलोड कराने का कष्ट करें।
10. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
11. कुलसचिव कार्यालय।
12. सम्बन्धित पत्रावली।